न्यायालय उप तहसीलदार, बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या ५५/2024 निर्णय दिनांक 30/8/24

सरकार जरिये बनाम श्री सुनिल पिता सोहनलाल धाकड़ पिता बागनदेड़

पटवार हल्का गोविन्दपुरा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय

पत्रावली आज मुकाम गोविन्दपुरा पर पेश हुई। संक्षिप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोविन्दपुरा ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि श्री सुनिल पिता सोहनलाल ने तहसील बेगूँ के ग्राम बागनदेड़ में स्थित आराजी नम्बर 859 559 रकबा 0.25 किस्म चरनोट पर दोराने सम्वत् २०8१ खरीफ में अनाधीकृत रूप से भूमि को करके काश्त अतिक्रमण किया है।

उक्त आशय की रिपोर्ट पेश होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अन्तर्गत धारा 91(3) एवं धारा 91(6) एल.आर.एक्ट में जारी किया जो विधिवत रूप से तामील करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतिक्रमी ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य में अतिक्रमित क्षैत्र अतिक्रमी के नामे नियमन योग्य नहीं पाया जाता हैं। अतः अतिक्रमी को ग्राम बागनदेड़ में स्थित खसरा नम्बर 859 559 रकबा 0.25 किस्म चरनोट भूमि से बेदखली का निर्णय पारित किया जाता है। जुर्माना लगान 2.00 रू. का 50 गुणा राशि 100/- रूपये आरोपित किये जाते है। जो वसूल हो।

निर्णय बमुकाम लिखाया जाकर सुनाया गया।

पालनार्थ पटवारी एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Lal Yadav
Date: 2025.12.12 16:22:50 IST
Reason: SelfAttested

मांग कायमी ... 720 ... पंजिका 04
योग 720 वर्ष 2024 ... पर की गई।
में पेज संख्या...

तहसील राजस्व लेखाकार
बेगूँ

उपतहसीलदार
उप तहसीलदार
बेगूँ